सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रेषक,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1–समस्त उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक
निजी बी0टी0सी0 प्रशिक्षण संस्थान
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः गोप0/डीएलएड(बीटीसी)/अंकानुसंधान/498-508/2021–22 दिनांकः 08-06-2021

विषयः–बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2013, 2014, 2015 एवं डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 एवं 2018 चतुर्थ सेमेस्टर के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2013, 2014, 2015 एवं डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 एवं 2018 चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल 09.04.2021 में घोषित किया जा चुका है।

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2013 सेवारत (मृतक आश्रित), 2014, 2015 एवं डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 एवं 2018 चतुर्थ सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंकानुसंधान (स्क्रुटनिंग) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत् हैं –

1. बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2013, 2015 एवं डी0एल0एड0 प्रशिक्षण–2018 चतुर्थ सेमेस्टर अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान आनलाइन आवेदन पत्र हेतु बेवसाइट **http://www.btcexam.in** पर पूरित किया जाय।
2. बी0टी0सी0 2014 चतुर्थ सेमेस्टर अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान आनलाइन आवेदन पत्र हेतु बेवसाइट **http://entdata.in/login.php** पर पूरित किया जाय।
3. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण–2017 चतुर्थ सेमेस्टर अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान आनलाइन आवेदन पत्र हेतु बेवसाइट https://www.updeledexam.in/ पर पूरित किया जाय।
4. उपरोक्त सेमेस्टर के अंकानुसंधान के आवेदन पत्र **दिनांक 14.06.2021 से 15.07.2021 तक** पूरित किये जायेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा तथा ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी संस्थान दोनों संस्थानों के प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करने हेतु उक्त वेबसाइट के कॉलेजलॉगिन पर क्लिक करेंगे, तदोपरान्त स्क्रीन पर दिये गये कॉलेज का नाम तथा पासवर्ड (**PASSWORD**) को अंकित करते हुए अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किये जायेंगे।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट लॉगइन के माध्यम से कॉलेज द्वारा किए गए आवेदन को दिनांक **16.07.2021** तक अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा।
7. समस्त संस्थानों द्वारा परीक्षा शुल्क सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के खाता सं0 519701010028014 IFSC CODE- UBIN 0551970 (UNION BANK OF INDIA, LIC

COLONY, 147-A/58 JAWAHAR LAL NEHRU ROAD, NEAR TAGORE TOWN, COLONELGANJ SCHOOL, ALLAHABAD) पर जमा कराया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा शुल्क रू0 **100.00 (रू0 एक सौ मात्र)** प्रति प्रश्न पत्र (प्रति विषय) प्रशिक्षणार्थी की दर से देय है। प्रशिक्षणार्थी अधिकतम दो प्रश्न पत्रों में ही अंकानुसंधान हेतु आनलाइन आवेदन कर सकता है, दो से अधिक विषयों में आवेदन करने पर उनका आवेदन निरस्त माना जायेगा। अंकानुसंधान शुल्क जमा करने के उपरान्त अंकानुसंधान आवेदन पत्र का प्रिंट आउट के साथ बैंक की मूल रसीद संलग्न कर **अंकानुसंधान की नामावली सूची** सहित **दिनांक 18.07.2021 तक** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे।

8. ऑनलाइन आवेदन में किये जाने वाली प्रविष्टियों को भली–भॉति जॉच व मिलान करने के उपरान्त ही आवेदन को **सेव (Save)** करते हुए सुरक्षित करें, इसमें किसी भी त्रुटि के लिए प्राचार्य डायट/सम्बन्धित संस्था एवं प्रशिक्षणार्थी ही उत्तरदायी होगें।
9. उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित निजी डी0एल0एड0 (बी.टी.सी.) संस्थानों को उपरोक्त निर्देश से अपने स्तर से भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2013 सेवारत (मृतक आश्रित), 2014, 2015 एवं डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017, 2018 चतुर्थ सेमेस्टर के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पूरित करते हुए शुल्क की रसीद एवं नामावली सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

8.6.2021

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 08/6/21

पृ0सं0/डीएलएड(बीटीसी)/अंकानुसंधान/ 498-500 **/2021–22 तद्दिनांकः**

प्रतिलिपिः– निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

8.6.2021

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।